

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

• श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र किशन उम्र बालिग जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम आकोडिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०।

-अप्रार्थीगण




(किस्म मुकदमा - धारा 88 राज.का.अधि.)

दर्ज क्रमांक 182 / 2025

ऑन लाईन नंबर 2025 / .

वकील वादी श्री अभिषेक सिंह

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05/8/25	<p>यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील श्री अभिषेक सिंह द्वारा अन्तर्गत धारा 88 राज.का.अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वकील वादी को सुना गया एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी को सम्मन वास्ते तामिली जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 26.08.2025 को पेश हो।</p> <p align="right">  उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर) </p> <p>दि. 26/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप.। तलबी प्रतिवादी को कत समय चाहा अतः पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 15/10/25 को पेश हो।</p> <p align="right">  उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ </p>	
15/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी अनु-। वकील वादी व वादी को शाहजहाँपुर लखनऊ शहर तक कर तीन बार भवाय लगवाये गये किन्तु वे अनु रहे हैं नाही अन्वया कोई प्रतिनिधित्व उभारें अतः वादी का वाड मोडम 09 नियम 88 CPC के तहत अदम एणरी अदम पैरवी में खासिय किया जाता है पत्रावली जितल शुमार एका नभर से कर ही</p> <p align="right">  उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ </p>	